भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2463

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

भिवानी-महेंद्रगढ़ में उच्च न्यायालय की जिला न्याय खंडपीठ की स्थापना

2463. श्री धर्मबीर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नये एवं विकासशील जिलों में न्यायिक अवसंरचना का विस्तार करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या लंबित मामलों के कारण इस क्षेत्र में वादियों को कठिनाई हो रही है, यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या ई-कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या नये न्यायालय परिसरों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इसके लिए भूमि की उपलब्धता तथा राज्य सरकार का सहयोग पूर्वापेक्षाएँ हैं; और

(च) क्या सरकार त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भिवानी-महेंद्रगढ़ में उन्नत न्यायिक अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना पर विचार करेगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की है। हालाँकि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम **(सीएसएस)** कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि साझा करने के प्रतिमान के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य के मामले में यह अनुपात 60:40 है। योजना के अंतर्गत पाँच घटक शामिल हैं अर्थात् न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयाँ, वकीलों का हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कमरे।

योजना की शुरुआत से अब तक (31.01.2026 तक) हरियाणा राज्य को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु **सीएसएस** के अंतर्गत 243.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 2014-15 से 150.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, 31.01.2026 तक हरियाणा राज्य सरकार को 17.37 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, 31.01.2026 तक हरियाणा राज्य में 589 न्यायालय हॉल और 594 आवासीय इकाइयाँ हैं। इसके अलावा, 73 न्यायालय हॉल और 63 आवासीय इकाइयाँ निर्माण के स्थान पर हैं। उपरोक्त सीएसएस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि को जारी केवल तब किया जाता है जब भूमि उपलब्ध हो, सभी मंजूरी हों और इस प्रभाव का प्रमाण पत्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदान किया गया हो।

लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के क्षेत्र के भीतर निहित है, और संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न लंबित मामलों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा विहित नहीं है। समय पर निपटान न्यायाधीशों और कर्मचारियों की उपलब्धता, अवसंरचना, वाद की जटिलता, सबूत और हितधारकों के सहयोग जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आदेशाधीन शीघ्र न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विचारधीनता को कम करने के लिए न्यायालय अवसंरचना में सुधार, कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक शक्ति बढ़ाना, नीति सुधार और न्यायालय प्रक्रियाओं की पुनः अभियांत्रिकी जैसी पहल की हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों के लिए 2025-26 की कार्य योजना तैयार की है ताकि वादों की विचारधीनता को रोका जा सके और सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को शीघ्र निपटान के लिए अनावश्यक स्थगन को कम करने के अनुदेश जारी किये हैं।

ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण (2023-2027) के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में उपलब्ध दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) अवसंरचना को बढ़ाने और उन्नयन के लिए 228.48 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सुविधाएँ देश भर में 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों में सक्षम की गई हैं। 31.12.2025 तक दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से कुल 3.93 करोड़ (जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2,95,33,143 और उच्च न्यायालयों में 97,89,552) मामले की सुनवाई आयोजित किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार हैं:

उच्च न्यायालय का नाम	दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के ज़रिए निपटाए गए मामलों की संख्या		
	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय	कुल योग
पंजाब और हरियाणा	6,53,089	37,34,523	43,87,612

****